प्ररूप–क

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बलिया ,जिला– बेगूसराय

पीठासीन पदाधिकारी – रणधीर कुमार

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)

दिनांक– 30.06.2026

जी. आर. नं0 – 3196/2016

सी.आई.एस. सं0 – 3196/2016

डंडारी थाना काण्ड सं0– 51/2016

राज्य बनाम अनिल यादव एवं अन्य

राज्य/सूचक	काला देवी, पति– स्व0 एतवारी राम सा0 बॉक, थाना– डंडारी, जिला– बेगूसराय।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री फिरोज अहमद, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
अभियुक्तगण	1. अनिल यादव, पिता– भिखारी यादव सा0– छोटी बलिया, थाना– बलिया, जिला– बेगूसराय।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री अमरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता श्री अमर भूषण सिंह, अधिवक्ता

प्ररूप–ख

अपराध की तिथि	19.09.2016
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	22.09.2016
आरोप पत्र की समर्पित करने की तिथि	04.02.2017
संज्ञान की तिथि	04.02.2017
आरोप गठन की तिथि	01.08.2018
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	29.08.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	लागू नहीं।
निर्णय की तिथि	30.06.2026
दण्ड सुनाने की तिथि	लागू नहीं।

पीठासीन पदाधिकारी–रणधीर कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बलिया (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 3196/2016
डंडारी थाना काण्ड सं0– 51/2016
दिनांक– 30.06.2026

अभियुक्तगण का विवरणी

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोप की धारा	निर्दोष/दोषी	अधिरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजन के लिए विचरण के दौरान निरोध की अवधि
1.	अनिल यादव	30.07.2018	30.07.2018	279, 337, 338 भा0 द0वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रारूप–ग

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/अदालत के गवाहों की सूची

क. अभियोजन पक्ष :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ख. बचाव पक्ष, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय के गवाह, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के साक्ष्यों के सूची

क. अभियोजन पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ख. बचाव पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय साक्ष्य :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

घ. भौतिक साक्ष्य :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कोई नहीं।	कोई नहीं।

निर्णय

1. एक मात्र अभियुक्त **अनिल यादव** के विरुद्ध धारा– **279, 337, 338** भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है।

2. अभियोजन का सारांश सूचक के फर्द बयान के अनुसार यह है कि सूचिका का पोता जब स्कूल से पढ़कर वापस आ रहा था तो एक ट्रैक्टर बालू गिराकर वापस आ रहा था तो जब प्रभू मंडल के घर के पास पहुंचा तो सूचिका के पोता को दिवार के अंन्दर तक घसीट दिया जिससे वह जख्मी हो गया उसके बाद उसे ईलाज के लिए संतोष कुमार बलिया अस्पताल ले जाया गया वहां पर डॉक्टर ने बोला कि दो–तीन जगह हड्डी टूट गया और हालत चिंताजनक है। सूचक के लिखित कथन के आधार पर प्रस्तुत वाद डंडारी थाना कांड सं0 51/2016 दिनांक 22.09.2016 के रूप में अस्तित्व में आया और अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान प्रारंभ किया।

3. उक्त प्रकरण में डंडारी थाना प्रभारी (SHO), के द्वारा डंडारी थाना कांड संख्या 51/2016 के रूप में भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। अन्वेषण उपरांत अनुसंधानकर्ता (IO) द्वारा एक मात्र अभियुक्त अनिल यादव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत आरोप–पत्र (Chargesheet) न्यायालय में समर्पित किया गया।

4. उक्त वाद में अभियुक्त अनिल यादव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4 279, 337, 338 के अंतर्गत दिनांक 04.02.2017 को संज्ञान लिया गया। दिनांक 01.08.2018

को अभियुक्त अनिल यादव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अभियोग का सारांश सुनाया गया। उक्त आरोपों को हिंदी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर अभियुक्त ने स्वयं को दोषी स्वीकार नहीं किया तथा विचारण का दावा किया।

5. विद्वान अभियुक्त के अधिवक्ता ने इस आधार पर अभियुक्त के दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। वर्तमान वाद दिनांक 22.09.2016 को संस्थित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अपराधों में दिनांक 04.02.2017 को अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिया गया। दिनांक 01.08.2018 को उपर्युक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अभियोग का सारांश सुनाया गया। तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात् दिनांक 22.05.2026 को कई अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् भी अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण उसका साक्ष्य बंद कर दिया गया। दिनांक 15.05.2026 को अभियोजन पक्ष को अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया था। न्यायालय द्वारा अपनी समस्त प्रक्रियाएँ अपनाई गईं। अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, किन्तु वह साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। यहाँ तक कि इस मामले का सूचक भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि उसे समन एवं न्यायालय की अन्य प्रक्रियाओं द्वारा उपस्थित होने को कहा गया था, जिसके कारण अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया।

6. प्रारंभ में ही यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान मामला वर्ष 2016 का है तथा 29.08.2018 से यह प्रकरण साक्ष्य के लिए लंबित था, परंतु अब तक अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आपराधिक विचारण में अभियोजन पर यह भार होता है कि वह अपने मामले को सिद्ध करे। अतः चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं है और उन्हें **दोषमुक्त** किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

7. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों के आलोक में, यह न्यायालय इस सुविचारित मत पर पहुँचा है कि अभियुक्त दोषमुक्ति के पात्र हैं और तदनुसार उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। यह आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त, जिनका नाम अनिल यादव को भारतीय दंड संहिता, 1860 की **279, 337, 338** के अंतर्गत आरोपित अपराधों से **दोषमुक्त** किया जाता है तथा अभियुक्त

को स्वतंत्र किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा निर्गत किसी भी लंबित प्रक्रिया को वापस लिया जाता है। वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) में जमा करें तथा निर्णय को CIS पर Upload कर आवश्यक अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

Sd/-
(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ,
बलिया (बेगूसराय)।
तिथि :– 30.06.2026

(यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।)

Sd/-
(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ,
बलिया (बेगूसराय)।
तिथि :– 30.06.2026

Date of Order/Judgement	30.06.2026
Date of reserving order/ Judgement	NA
Uploading Date	02.07.2026
Uploaded by	Gunjan Kumar (Stenographer)